समाहरणालय, सहरसा
न्यायालय–समाहर्त्ता, सहरसा
जमाबन्दी रीविजन वाद संख्या–19/2013
–:: आदेश ::–

23.9.17

प्रथम पक्ष :– (1) बीबी अंजरी बेगम्, पति–मो0 नुरूल्ला,
(2) अनवर साह, पिता–सुभान साह,
सभी साकिन–बख्तियारपुर, भट्टा टोला, रानीबाग, जिला–सहरसा।
(3) कमलेश्वरी प्रसाद भगत, पिता–स्व0 दुखा भगत।

बनाम

द्वितीय पक्ष :– (1) मो0 नुरूल होदा, पिता–स्व0 नसीमउद्दीन एवं अन्य तीन भाई–प्रथम सेट,
(4) नजरूल होदा, पिता–निजामुद्दीन एवं अन्य चार–द्वितीय सेट।
सभी साकिन–बख्तियारपुर बाजार, जिला–सहरसा।

05.07.2017 प्रस्तुत जमाबंदी रद्दीकरण वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर के न्यायालय द्वारा जमाबंदी पुनरीक्षण वाद संख्या–14/2012 में दिनांक–01.07.2013 को पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु अपीलार्थी प्रथम पक्ष की ओर से दायर किया गया है। विवादित भूमि का विवरण निम्नवत् है :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा	
				एकड़	डिसमल
बख्तियारपुर	64	136	1772	0	03
			1772/6053		

अपीलार्थी का कहना है कि विवादित भूमि कौडेस्ट्रल सर्वे खतियान में दरोगी साह के नाम से कायम है। दरोगी साह का वंश वृक्ष इस प्रकार है :–

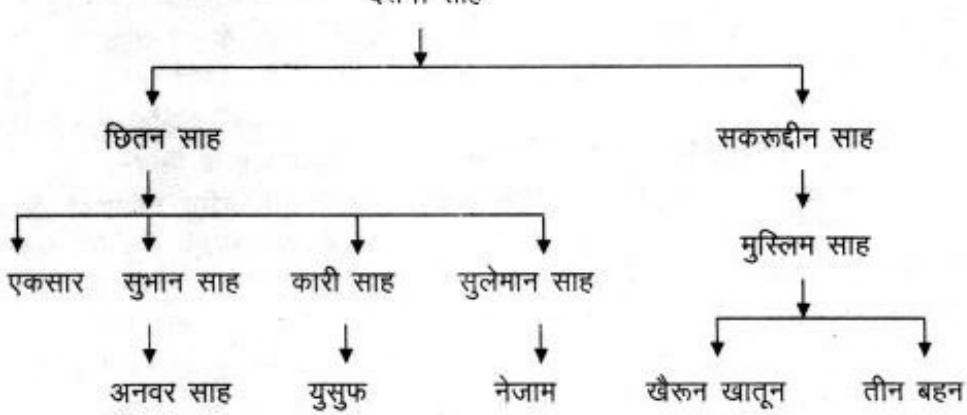

आवेदक के अनुसार खाता नं0–136, प्लोट नं0–1772, छितन साह एवं सकरूद्दीन साह के वंशजों के शांति पूर्ण कब्जे में है। इनमें से अनवर साह तथा मुस्लिम साह के दो पुत्रियों खैरून खातुन एवं जरीना के हिस्से की जमीन उनके दखल कब्जे में है तथा अनवर साह से उन्हें Power of attorney भी दिनांक–09.02.2011 को प्राप्त है।

23.9.17

जिसके द्वारा उन्होंने प्रश्नगत भूमि अपनी पत्नी बीबी अंजरी बेगम को बेचा है। इसके अनुसार पूर्व में तत्कालिन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा इनके डीड को बैध करार देते हुए अंचलाधिकारी के नामांतरण आदेश दिनांक–06.03.2012 को बैध करार दिया गया था, परन्तु अपील वाद संख्या–14/2012 में दिनांक–01.07.2013 को पारित आदेश में नुरूल होदा के पक्ष में आदेश कर दिया।

अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा पूर्व में उक्त पावर ऑफ अटोर्नी के आधार पर निष्पादित डीड को स्वीकार किये जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

प्रतिवादी के अधिवक्ता का कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में निष्पादित अपील वाद संख्या–14/2012 में मात्र नुरूल होदा, समसूल होदा, जियाउल होदा एवं रियायुल होदा अपीलार्थी थे तथा अंजरी बेगम एवं अन्य 06 को प्रतिवादी बनाया गया था, जिनके नाम जमाबंदी अंचलाधिकारी ने संधारित किया था। वर्तमान अपीलार्थी संख्या–02 एवं 03 बाहरी लोग है जिनका नाम फर्जीवारा के नियत से इस वाद में डाला गया है।

प्रतिपक्षी का यह भी कहना है कि उन्होंने अपने स्व0 पिता नसीम उद्दीन से केवाला नं0–16268, दिनांक–20.01.1976 केवाला नं0–10639, दिनांक–07.07.1977 एवं केवाला नं0–358, दिनांक–05.01.1978 से खरीदा है जो भूमि विक्रेता को मुस्लिम साह इशान सुवन साह, नजीम साह, युसुफ साह साकिनान बख्तियारपुर स्व0 छितन साह एवं सकरूद्दीन साह खतियानी रैयत दरोगी साह के उत्तराधिकारी है, जिन्होंने निबंधित केवाला पर कभी भी आपत्ति दर्ज नहीं कराये तथा केवाला को लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं। खरीददार लम्बे समय से सरकार को लगान भुगतान करते आ रहे हैं तथा खरीदारी भूमि पर भिन्न–भिन्न खरीददार का दखल चला आ रहा है।

प्रतिपक्षी का कहना है कि आवेदक के पति मो0 नुरूल्लाह ने एक पावर ऑफ एटर्नी उनके पिता सुभान साह से अपने पक्ष में नाजायज करवा लिए। उक्त पावर ऑफ एटर्नी के दो महिने के पश्चात 03 डी0 भूमि अर्थात 14 धुर अपनी पत्नी बीबी अंजरी बेगम के पक्ष में केवाला नं0–1313, दिनांक–02.04.2011 खाता पु0–136, खेसरा पु0–1772/6053 चौहद्दी उत्तर अब्दुल जफर दक्षिण सड़क पुरब नुरूल्लाह पश्चिम वसीर साह एवं अन्य दर्ज है। केवाला नं0–1313, दिनांक–02.04.2011 के खरीददार बीबी अंजरी बेगम ने दाखिल खारीज वाद–629/2011–12 के लिए खरीदगी आधार पर आवेदन दिया। प्रतिपक्षी के छोटे भाई मो0 मजमुल होदा जो अंश धारक है के द्वारा विरोध किया गया, लेकिन मो0 नुरूल्लाह अपीलार्थी के पति के द्वारा नाजायज प्रभाव डालकर दाखिल आपत्ति को दिनांक–28.02.2012 को वापस करवा लिये।

प्रतिपक्षी के द्वारा अंचल अधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के दाखिल खरिज केस नं0–629/11–12 के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर के न्यायालय में अपीलवाद संख्या–14/2012 दाखिल किया।

प्रतिपक्षी के द्वारा दरोगी साह, नसीम उद्दीन, पिता–हाजी किफायत हुसैन, मो0 नजीम उद्दीन पिता–हाजी किफायत हुसैन का वंशवृक्ष दाखिल किया है। सिहुल 01 में पुराना खेसरा 1772 एवं 1772/6053 की भूमि केवाला नं0–18268, 10639 एवं 358 के अन्तर्गत कुल खरीदगी 12 कट्ठा 10 धुरकी का वर्णन है तथा सिडुल 02 में दिनांक–06.03.2012 को पृष्ठ संख्या–03 पर वर्णित आदेश का वर्णन है तथा सिडुल 03 में पावर ऑफ एटर्नी का वर्णन है तथा सिडुल 04 में दिनांक–09.02.2011 को की गई पावर ऑफ एटर्नी कर्त्ता का वंशवृक्ष सिडुल–01 के अनुसार बतलाया गया है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर के न्यायालय में अंचलाधिकारी की ओर से दाखिल जबाब में प्रतिपक्षी के द्वारा दाखिल वाद को अस्पष्ट एवं कानूनी प्रक्रिया के विरूद्ध बतलाया गया है तथा काल बाधित होने के आधार पर वाद खारीज करने का कथन किया है।

अंचलाधिकारी द्वारा पारित आदेश में पुराना खेसरा 1772 का रकवा 06 कट्ठा 17 धुर एवं पुराना खेसरा–1772/6053 का रकवा 05 कट्ठा12 धुर कुल रकवा 12 कट्ठा 09 धुर खतियान में दर्ज होना

20.3.17

बतलाए हैं तथा पंजी दो के आधार पर जमाबंदी नं0–79 में खेसरा पुराना 1772 रकवा 03 कट्ठा 08 धुर 10 धुरकी एवं खेसरा पुराना 1772/6053 में रकवा 02 कट्ठा 15 धुर खारीज नहीं होना बतलाया है साथ ही विवादी भूमि पर अपीलार्थी के 02.04.2011 के केवाला के आधार पर दखल कब्जा की बात कथन किए हैं जो संदेहात्मक प्रतीत होता है, क्योंकि विवादी भूमि 1976, 1977 एवं 1978 में ही बिक्री कर दी गई तो किस आधार पर विवादी भूमि पर अपीलार्थी के दखल कब्जा की बात सही हो सकती है।

अपीलार्थी एवं विपक्षी के द्वारा अलग–अलग दी गई वंशवृक्ष पर निम्न न्यायालय के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है तथा अपीलार्थी की ओर से दिनांक–11.04.2011 के शपथ–पत्र में छितन साह को चार लड़के का शपथ–पत्र दाखिल किया है जबकि छितन साह के लड़के के अलावा चार लड़की भी थी जिसका अनदेखी करते हुए अंचलाधिकारी ने अपीलार्थी के द्वारा दाखिल वंशवृक्ष पर असहमति जताया है तथा उन्होंने बिना कोई निबंधित अथवा प्रमाणित अभिलेख के आधार पर अपीलार्थी के द्वारा दी गई शपथ–पत्र को सही मानते हुए छितन साह का वंशवृक्ष को सही माना है तथा ग्राम पंचायत मुखिया के द्वारा शपथ–पत्र में छितन साह के वारिसान को प्रमाणित किया है जो वर्तमान मुखिया के द्वारा भी की गई है एवं मुस्लिम लॉ के मुताबिक लड़की को वारिसान में नाम नहीं देना सही प्रतीत नहीं होता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर ने अपने आदेश में उल्लेखित किया है कि प्रतिपक्षी की ओर से दाखिल पु0 खतियान में पुराना खेसरा 1772 का रकवा 06 कट्ठा 17 धुर एवं पुराना खेसरा–1772/6053 रकवा 05 कट्ठा 12 धुर अंकित है। जबकि अपीलार्थी विवादी भूमि में 1976, 1977 एवं 1978 के केवाला अनुसार कुल रकवा 11 कट्ठा 10 धुर खरीदगी है जिसमें पावर ऑफ एटर्नी कर्त्ता मो0 अनवर के पिता मो0 सुभान साह, अपीलार्थी के पक्ष में अपना हक वो हिस्सा 1976 ई0 में ही केवाला कर दिए जिस भूमि को उनके पिता के केवाला कर देने के पश्चात पुत्र के द्वारा पावर ऑफ एटर्नी बनाना सही प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार उन्होंने अपीलार्थी के नाम अंचलाधिकारी के द्वारा की गई दाखिल खारीज सही प्रतीत नहीं माना है क्योंकि लेख्यधारी को पावर ऑफ एटर्नी की भूमि बिक्री करने का कोई अधिकार नहीं दी गई, जिस आधार पर पावर ऑफ एटर्नी प्राप्तकर्त्ता ने अपनी पत्नी के नाम की गई बिक्री नामा में पावर ऑफ एटर्नी में निहित निर्देश का अवहेलना करते हुए केवाला तामिल किया, जिस तथ्य को नजर अंदाज करते हुए अंचलाधिकारी ने विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित किया। इस प्रकार निम्न न्यायालय ने दाखिल खारिज वाद संख्या–629/11–12 में पारित आदेश दिनांक–06.03.2012 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के नाम की गई जमाबंदी कोा निरस्त करते हुए पूर्व से प्रतिपक्षी के नाम दर्ज जमाबंदी को बहाल रखा है।

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल लिखित बयान संलग्न कागजातों तथा उपर्युक्त विवेचन से निम्न न्यायालय द्वारा अपील वाद संख्या–14/2012 में दिनांक–01.07.2013 को पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है। अपीलार्थी निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दोषपूर्ण साबित करने में विफल रहे हैं। तदनुसार अपीलार्थी का अपीलवाद खरिज किया जाता है।

लेखापित एव शुद्धिकृत

23.9.17

समाहर्त्ता,
सहरसा।

23.9.17

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1514–2 /विधि, सहरसा, दिनांक 26-09-2017

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
25.09.017